

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2824 / 14-1, दिनांक, अमरोहा, जून, 15/6/ 2021,

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :-

जनपद अमरोहा में नहतौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (एस.एच.-77) किमी 53 की बांयी पटरी पर कस्वा अमरोहा के खसरा सं 2958/1,2 में भारत पेट्रोलियम कार्पो लि 0 मेरठ द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.037025 हे 0 संरक्षित वन भूमि एवं 03 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा में नहतौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (एस.एच.-77) किमी 53 की बांयी पटरी पर कस्वा अमरोहा के खसरा सं 2958/1,2 में भारत पेट्रोलियम कार्पो लि 0 मेरठ द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट हेतु 0.037025 हे 0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। अतः भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उ 0 प्र 0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरित।

भवदीय-

(रमेश चन्द्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।